ऑन लाईन नं. RCMS 2023/14

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 01/2023

1. संदीप कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी राजपुरा 46 आर.बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजकुमार पु. श्री रामलाल जाति जाट निवासी राजपुरा 46 आर.बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. खेतपाल पुत्र श्री फकीरदास जाति स्वामी निवासी राजपुरा 46 आर.बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. बलवन्तराम पुत्र श्री फकीरदास जाति स्वामी निवासी राजपुरा 46 आर.बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. मनोहर लाल पुत्र श्री फकीरदास जाति स्वामी निवासी राजपुरा 46 आर.बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. विनोद कुमार पुत्र श्री बजरंगलाल जाति स्वामी निवासी राजपुरा 46 आर.बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. निर्मल कुमार पुत्र बजरंग लाल जाति स्वामी निवासी राजपुरा 46 आर.बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. फकीरदास पुत्र श्री वीरदास जाति स्वामी निवासी राजपुरा 46 आर.बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. बजरंग लाल सपुत्र श्री वीरदास जाति स्वामी निवासी राजपुरा 46 आर.बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. विद्यादेवी पत्नी बजरंग लाल जाति स्वामी निवासी राजपुरा 46 आर.बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री जरनैल सिंह टुरना अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता रेसपोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार राजस्व दिनांक 24.04.2017 जिसकी रूह से चक 46 आर.बी.बी. तहसील पदमपुर के गुरब्बा नम्बर 4,5,20 में गैरमुमकिन भूमि का इन्तकाल दर्ज किया गया है के विरूद्व।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

:: आदेश :: दिनांक :– 16.08.2024

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 24.07.2017 इकतरफा तौर पर अपीलाण्ट को बिना नोटिस दिये पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है क्योंकि अपीलाण्ट तहसीलदार के आदेश से व्यथित है इसलिए अपील पेश करने के अधिकारी है। अलग से धारा 96 दीवानी प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 14.07.2017 व 19.07.2017 का हवाला देकर गैरमुमकिन नहर की भूमि को मुमकिन दर्ज की गयी है जो विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज की गयी है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी को नहर की भूमि को मुमकिन किये जाने के अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि गैरमुमकिन भूमि सार्वजनिक हितार्थ है और न ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने आदेशों में नहर की गैरमुमकिन भूमि को कृषि योग्य भूमि किये जाने के आदेश दिये गये थे लेकिन तहसीलदार द्वारा गलत तरीके से विवेचना करते हुए मुमकिन भूमि किये जाने के आदेश दिये है। अपीलांट की कृषि भूमि चक 46 आर.बी.बी. तहसील पदमपुर के मुरम्बा नम्बर 4 में 13 बीघा व मुरब्बा नम्बर 19 में 25 बीघा कृषि भूमि है। मुरब्बा नम्बर 19 , मुरब्बा नम्बर 20 के साथ विपता हुआ है। नहर की भूमि गैरमुमकिन को अपीलांट द्वारा उपयोग व उपभोग किया जाता था।

3. यह कि गैर मुमकिन नहर की भूमि को कृषि भूमि किये जाने का अधिकार मात्र राज्य सरकार के पास है व सिंचाई अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती थी क्योंकि आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि नहर की भूमि को कृषि भूमि में रूपान्तरित क्यों किया गया और भूमि रूपान्तरित किये जाने से पूर्व न ही प्रभावित पक्षकारों को कोई नोटिस दिये गये क्योंकि रेस्पोडेंटगण द्वारा गैरमुमकिन भूमि को कृषि भूमि करवाने के लिए नाजायज लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन द्वारा नहर की भूमि को कृषि भूमि घोषित करवा लिया गया क्योंकि तहसीलदार कृषि भूमि का मालिक है श्रीमान तहसीलदार द्वारा भी यह नहीं देखा गया कि नहर की भूमि को कृषि भूमि में क्यों रूपान्तरित किया जा रहा है।

4. यह कि अपीलाण्टगण का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन अपीलाण्टगण के हक में बखूबी साबित है अगर रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलाधीन भूमि को किसी प्रकार से रहन बैय अथवा मुन्तिकल कर दिया गया तो बहुविवाद होगें।

5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट द्वारा मुरब्बा नम्बर 4,5,20 की पानी की बारी बंधवाने के लिए सिंचाई विभाग के समक्ष कार्यवाही की जा रही थी और दिनांक 08.01.2023 को जानकारी प्राप्त हुई व जानकारी प्राप्त होते ही अपीलाण्ट द्वारा नकलें प्राप्त की गयी व बिना विलम्ब श्रीमान न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है व अलग से मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र सलंग्न अपील है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

6. यह कि अपील अन्दर मियाद व जानकारी से बिना विलम्ब श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित है तथा पूर्ण कोर्टफीस पर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत करके निवेदन है कि तहसीलदार पदमपुर के आदेश दिनांक 24.07.2017 को निरस्त फरमाया जाकर अपील स्वीकार फरमायी जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील जिस इंतकाल के विरूद्व पेश की गई है वह इंतकाल आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के द्वारा पारित ओदश दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध पेश की है जो संधारण योग्य नहीं है क्योंकि अपीलाधीन आदेश आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 की पालना में विधिनुसार दर्ज किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त मूल आवंटन आदेश को जरिये अपील संख्या 10/2022 एवं 11/2022 अनवानी राजकुमार बनाम विनोद कुमार आदि व संदीप आदि बनाम विद्योदेवी आदि के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष आवंटन आदेश दिनांक 14.07.2017 को चुनौती दी गई थी जिसे राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा आदेश दिनांक 22.08.2022 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज की जा चुकी है, उक्त आदेश दिनांक 22.08.2022 एवं आवंटन आदेश दिनांक 14.07.2017 के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष रिविजन संख्या 4904/2022 अनवानी संदीप आदि बनाम विद्यादेवी भी प्रस्तुत की जा चुकी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। इस प्रकार सर्वप्रथम तो अपीलार्थी को अपीलाधीन इंतकाल आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थे जिसके द्वारा भिन्न-भिन्न अपीले राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी थी जो दिनांक 22.08.2022 को ही निरस्त हो चुकी है, जिस कारण अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 08.01.2023 को होने सम्बन्धी किये गये कथन अपने आप में ही असत्य साबित होते है। अपीलार्थी की अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है जिसके द्वारा मिथ्य कथनों के आधर पर दफा 5 मियाद अधिनियम का मिथ्या प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं अपीलांट उक्त अपील में हितबद्व पक्षकार भी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी दफा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दू पर खारिज फरमाई जावें। मियाद के बिन्दू पर वकील रेस्पोडेन्ट ने आर बी जे (14) 2007 पेज 438, आर बी जे (21) 2014 पेज 472, आर आर डी 1993 पेज 24, आर आर डी 1994 पेज 276, आर जे टी 2015 (2) पेज 1385, आर जे टी 2015 (1) पेज 342 एवं आर बी जे (11) 2004 पेज 611 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त अपील तहसीलदार पदमपुर के आदेश दिनांक 24.07.2017 के विरूद्व पेश की गई है। उक्त अपील में माननीय राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश विचाराधीन है। अगर इस न्यायालय का स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तो भूमि रहनबैय कर दी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

जावेगी जिससे राज्य सरकार को नुकसान होगा। उक्त विवादित भूमि जिसका तहसीलदार पदमपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.07.2017 द्वारा इन्तकाल स्वीकृत किया गया है वह भूमि स्माल पैच में आवंटन की थी जिसकी पालना में इन्तकाल दर्ज किया गया है। उक्त विवादित भूमि की पानी की बारी पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का स्थगन आदेश है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद के बिन्दु पर अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर के आदेश दिनांक 24.07.2017 की जानकारी सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट द्वारा मुरब्बा नम्बर 4,5,20 की पानी बारी बंधवाने के लिए सिंचाई विभाग के समक्ष कार्यवाही की जा रही थी। दिनांक 08.01.2023 को उक्त आदेश की जानकारी हुई तो सर्वप्रथम नकल प्राप्त कर बिना विलम्ब के श्रीमान न्यायालय में अपील प्रस्तुत की व मियाद का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र अलग से अपील मिमो के साथ प्रस्तुत किया गया। उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन है। उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध अपील विचाराधीन है। अपील विचाराधीन होते हुए उक्त अपील में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलकृत आदेश दिनांक 24.07.2017 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है।

अपीलार्थीगण द्वारा वर्तमान अपील के अलावा मूल आवंटन आदेश को जरिये अपील संख्या 10/2022 एवं 11/2022 अनवानी राजकुमार बनाम विनोद कुमार आदि व संदीप आदि बनाम विद्योदेवी आदि के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष आवंटन आदेश दिनांक 14.07.2017 को चुनौती दी गई थी जिसे राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा आदेश दिनांक 22.08.2022 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज की जा चुकी है, उक्त आदेश दिनांक 22.08.2022 एवं आवंटन आदेश दिनांक 14.07.2017 के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष रिविजन संख्या 4904/2022 अनवानी संदीप आदि बनाम विद्यादेवी भी प्रस्तुत की जा चुकी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

जहॉ तक अपील को देरी से प्रस्तुत करने का सम्बन्ध हैं, इस संबंध में वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 के अधिवक्ता द्वारा आरबीजे (21) 2014 के पेज संख्या 438, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"INDIAN LIMITATION ACT, 1963 - Section 5- When there is no satisfactory reason for condoning delay, it cannot be condoned - it is well cosidered principle of law that the delay cannot be condoned without assigning any reasonable satisfactory sufficient and proper reason."

" When a mandatory provision in not complied with and when the delay is not properly, satisfactorily and convincingly explained, the Court cannot condone the delay, only on the sympathetic ground.------ it is well considered priciple of law that delay cannot be condoned without assigning any reasonable satisfactory sufficient and proper reason, -------

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि delay is not properly, satisfactorily and convincingly explained, the Court cannot condone the delay, only on the sympathetic ground-

हस्तगत अपील प्रकरण में 138 दिन की देरी का जो स्पष्टीकरण दिया है, वह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अपीलार्थीगण राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष मूल आवंटन आदेश से सम्बन्धित अपील संख्या 10/2022 एवं 11/2022 अनवानी राजकुमार बनाम विनोद कुमार आदि व संदीप आदि बनाम विद्योदेवी आदि के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष आवंटन आदेश दिनांक 14.07.2017 को चुनौती दी गई थी जिसे राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा आदेश दिनांक 22.08.2022 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज की जा चुकी है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर के आदेश दिनांक 24.07.2017 की जानकारी होने के बावजूद अपील दिनांक 11.01.2023 को पेश की गई। अपील जानकारी होने के बाद भी 138 दिन बाद पेश की जाने के कारण अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणाम स्वरूप, मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने का जो कारण वर्णित किया गया है, वह स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील मियाद बाहर मानी जाकर, अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है। अपीलार्थीगण के यदि कोई अधिकार हैं तो वह सक्षम न्यायालय में विधिसम्मत् कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 16.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)